न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 117/2017

मन्दरसिंह उर्फ हरमन्दरसिंह पुत्र खेतासिंह जाति जटसिख निवासी चक 24 ओ भुट्टीवाला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. सुनीता रानी पत्नी राकेश कुमार जाति अग्रवाल निवासी 134 बी ब्लॉक वार्ड नं. 6 श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. मोहित सिंगल पुत्र राकेश कुमार जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 6 श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

——रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 रा. का. अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी श्रीकरणपुर

दिनांक 13.07.2017

उपस्थितिः—

श्री जीतपालसिंह सैनी, अभिभाषक अपीलांट ।

श्री प्रदीप सिहाग, अभिभाषक रेस्पों.।

निर्णय **दिनांक :— 15.09.2017**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/वादीगण/रेस्पो. ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीकरणपुर के समक्ष पेश किया जिसके साथ रा.का.अ.की धारा 212 का प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि चक 24 ओ के खाता संख्या 82/84 में 7 बीघा व खाता संख्या 135/137 में 8.15बीघा कुल 15.15 बीघा भूमि नारायणदास के नाम दर्ज थी जिसने जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 09.12.2013 को प्रार्थीगण को विक्रय कर दी एवं कब्जा सौप दिया, वर्तमान में प्रार्थीगण काबिज है। अप्रार्थी उक्त भूमि में जबरदस्ती प्रवेश कर प्रार्थीगण को बेदखल करना चाहते है। यदि ऐसा करने में सफल हो गया तो प्रार्थीगण को ना

15/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

पूरा होने वाला नुकसान होगा । अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रा.पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध वाद के निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में हस्ताक्षेप नहीं करे एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जावें।

प्रार्थीगण द्वारा प्रा.पत्र पेश करने पर दिनांक 13.07.2017 को प्रार्थना पत्र दर्ज रजि. कर उसी दिन विवादित भूमि की मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये । जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि राजस्व रेकार्ड में भूमि नारायणदास के नाम से चली आ रही है रेस्पो. का इस भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है। अपीलांट ने यह भूमि ठेके पर ले रखी है। अधी.न्यायालय ने धारा 212 आरटीए के तीनों बिन्दुओं का कोई विवेचन नहीं किया। पटवारी की रिपोर्ट से कब्जा अपीलांट का साबित है। कब्जा को सुरक्षित रखने हेतु अपीलांट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित भूमि रेस्पो0 ने जरिये बैयनामा कय कर रखी है, अपीलांट ने धारा 188 आरटीए का वाद पेश किया है। अपीलांट का कथन है कि उसके द्वारा भूमि ठेके पर वर्ष 2017 में ली है जबकि बेचान 2013 का है। इसलिए अपीलांट को कोई लाभ नहीं मिल सकता । अपीलांट अधी.न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष पेश कर सकता था । ऐसी स्थिति में अपील के माध्यम से उसे कोई राहत नहीं दी जा सकती । अतः अपील खारिज की जावें ।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

15/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपीलांट द्वारा यह अपील अधी.न्यायालय के आदेश दिनांक 13.07.2017 के विरूद्ध पेश की गई है जिसमें प्रार्थी सुनिता आदि द्वारा विवादित आराजी जरिये बेचानराम क्रय करने से रा.का.अ. 1955 की धारा 212 का अनुतोष दिया गया है।

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया निर्णय में सीधे ही लिख दिया कि नारायण दास के नाम दर्ज 3.985 है. भूमि की मौके की यथास्थिति बनाये रखे में विधिक त्रुटि दृष्टिगत हुई जैसा की राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के principles governing the grant of Temporay injunction निर्देशित जिसमें (1) प्रथम दृष्टया मामला (2) अपूरर्णीय क्षति एवं (3) सुविधा का सन्तुलन का विवेचन Mandatory है। जो अधी.न्यायालय ने विवेचन करना तो दूर इन सिद्धान्तों का जिक्र तक नहीं किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं अधी.न्यायालय का आदेश दिनांक 13.07.2017 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/9/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर